	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 24.3.15 को पेश हो। रीडर
24-3-15	वकील वादी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० है। वास्ते साक्ष्य वादी वकील वादी समय चाहते हैं। अतः साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दि० 7-5-15 को पेश हो।
7-5-15	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० हो वास्ते साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दि० 12-5-15 को पेश हो।
12-5-15	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष ... P.O. साहब दौरे पर ... का स्थानान्तरण हो गया ... पत्रावली दि० 23-6-15 को पेश हो। रीडर 2544-47 / 8.1.6.15
16-6-15	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर कुचोलाई पर पेश हुई। वादीगण रामचन्द्र व नत्थू उपस्थित है। वादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादिया कावेरी मर चुकी है जिसके वारिस हम वादीगण ही है। वादी रामसहाय दूसरे लोगों को जमीन बेच चुका है तथा हम वादीगण नत्थू रामचन्द्र उर्फ रूपचन्द्र नत्थू दावे को चलाना नहीं चाहते है। इसलिए दावा वापस कर दिया जावे। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। ~~खर्चा~~ खर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रविकुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बूचोलाई

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1 कावेरी बेबा कन्हैया गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी
2 रामचंन्द्र उर्फ रूपचंद पुत्र कन्हैया गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी
3 नत्थू पुत्र कन्हैया गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी
4 रामसहाय पुत्र जोधा गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील गंगापुर सिटी ---वादीगण

बनाम

सरकार जरिए लेड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादी

दावा घोषण खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 85/2008

वादीगण की ओर से वादी रामचंन्द्र, नत्थू की व प्रतिवादी की ओर से नायब तहसीलदार तलावडा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 16.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को प्रस्तुत दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 16.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	